

भाजपा के सदस्यता अभियान में कम सदस्य बनने से नाराज हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री

15 अक्टूबर तक सवा करोड़ सदस्य बनाने थे, जबकि अभी 23 लाख बने

जयपुर। भाजपा के प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान की पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए पूर्व योजनाओं और पूर्ण योजना के साथ कार्यकर्ता जुट जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिलाध्यक्षों से आह्वान किया कि वे मंडल और बृथ स्तर पर प्रकास कार्यक्रम बनाए तथा वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करें। बैठक में भाजपा के जिलाध्यक्ष, अभियान से जुड़े प्रभारी, संयोजक और जिलों की टोली के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बीएल संतोष ने प्रदेश में भाजपा के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश स्तर और जिला संयोजकों की बैठक में कम सदस्य बनाने के पीछे कारण पूछे। इस पर संयोजकों ने कहा

कि इस समय खेती का समय चल रहा है, जिसके चलते सदस्यता कम रही है। बीएल संतोष ने कहा कि लोग खेती में व्यस्त हैं तो खेतों में जाकर सदस्य बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं यहां एक-एक व्यक्ति का रिकॉर्ड देखने आया हूं। किस व्यक्ति ने अपने मोबाइल से कितने सदस्य बनाए।

हालांकि मीटिंग के दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने टारगेट से दोगुने सदस्य बनाए हैं। इसी तरीके से बाकी लोगों को भी काम करना चाहिए। राजस्थान में अभी 23 लाख सदस्य ही बने हैं। जबकि प्रदेश में 15 अक्टूबर तक सवा करोड़ सदस्य बनाना का लक्ष्य है।

संतोष ने कहा कि अपने साथी कार्यकर्ताओं में नेतृत्व के गुण विकसित करें, उनके नेता बनने से आपका कद स्वतः बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विचार आधारित पार्टी है, यहां

■ **भाजपा में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण, उनमें करें नेतृत्व के गुण विकसित : बीएल संतोष**

■ **भाजपा आरक्षित वर्ग के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध, कांग्रेस मानती रही वोट बैंक : मदन राठौड़**

कार्यकर्ता अपने कार्य के बल पर महत्वपूर्ण हैं। सदस्यता अभियान कार्यकर्ता निर्माण की दिशा में पहला कदम है, इसलिए इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए त्रि सूत्री मंत्र देते हुए कहा कि प्रतिदिन सदस्य

वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग

जयपुर । मंत्रालयिक संवर्ग की वेतन विसंगतियों एवं अन्य समस्याओं के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के शिष्टमंडल ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ और राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र सिंह नरूका के संयुक्त नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त वित्त सचिव को ज्ञापन दिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 1 सितंबर 2024 से सभी की वेतन विसंगतियां दूर करने की घोषणा के बावजूद सितंबर माह खत्म होने को है लेकिन अभी तक ना तो सांत्व और खेमराज समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और ना ही कोई कार्यवाही की गई है। जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश प्राप्त है। गत सरकार में कैबिनेट द्वारा संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 से बढ़ाकर 6600 अनुमोदित कर दी गई थी, लेकिन अभी तक उसके आदेश नहीं निकले हैं । सचिवालय एवं अन्य संवर्गों की भांति मंत्रालयिक संवर्ग को दूसरी पदोन्नित पर ग्रेड पे 4200, संस्थापन अधिकारी के आगे उप निदेशक प्रशासन का पद सुजित करने, पदोन्नितों के खिलाफ स्टे निरस्त करने आदि प्रमुख मांगे हैं।

फर्जी ई-चालान से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय की एडवाइजरी

वैध-अवैध एस.एम.एस. की पहचान के बाद ही करे ऑनलाइन भुगतान

जयपुर (कासं)। पुलिस मुख्यालय की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन पर नागरिकों को प्राप्त होने वाले ई-चालानों के भुगतान से सम्बंधित लिंक में साइबर टगों की हेराफेरी के बारे में आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आमजन फर्जी ई-चालानों से बचे तथा वैध और अवैध एसएमएस में अंतर की पहचान कर सके, इसके लिए एडवाइजरी में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी का समावेश किया गया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), साइबर अपराध, एससीआरबी एवं तकनीकी सेवाएं हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि वर्तमान तकनीक युग में नागरिकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनको ई-चालान- जारी किए जाते हैं, जो नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। प्रदेश में साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी ई-चालान के माध्यम से तकनीकी पेशेदरगियों से अनजान लोगों को ठगाने के मामले प्रकाश में आए हैं। आमजन फर्जी ई-चालन के माध्यम से होने वाली धोखधड़ी या जालसाजी के शिकार नहीं हो, इसके लिए यह

■ **लोग जागरूक रहें, ई-चालान का मैसेज कभी वॉट्सएप पर नहीं भेजा जाता : प्रियदर्शी**

■ **उन्होंने बताया कि ई-चालान के लिए जो मैसेज प्राप्त होता है इसकी वैधता की पहचान या एसएमएस हैडर को जानने के लिए 1909 नम्बर पर एस.एम.एस. भेजा जा सकता है।**

एडवाइलरी जारी की गई है। डीजीपी (साइबर अपराध) ने बताया कि ई-चालान ऑनलाईन वाहनों के चालान रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज मोबाइल नम्बर पर केवल एसएमएस द्वारा ही भेजा जाता है, वाट्सएप एप्लीकेशन पर कभी नहीं भेजा जाता है। अधिकृत एसएमएस का हैडर केवल “वाहन” ही होता है। इस एसएमएस संदेश में विभाग द्वारा

यातायात नियमों से सम्बंधित विवरण और चालान का भुगतान करने के लिए लिंक भेजा जाता है। साइबर टग इससे मिलते-जुलते नाम से फर्जी ई-चालान बनाकर ठगी का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में वे नागरिक जिन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया ही नहीं हो, उनको भी फर्जी एसएमएस या वॉट्सएप मैसेज भेजकर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा सकता है। उन्होंने नागरिको से अपील की है कि वे फर्जी और वैध एसएमएस की पहचान करके जालसाजी का शिकार होने से बचे।

प्रियदर्शी ने बताया कि ई-चालान के लिए जो मैसेज प्राप्त होता है इसकी वैधता की पहचान या एसएमएस हैडर को जानने के लिए 1909 नम्बर पर एसएमएस भेजा जा सकता है। डीजीपी (साइबर अपराध) ने बताया कि इसके बाद भी यदि भुगतान के लिए प्राप्त ई-चालान पर तनिक भी संदेह हो तो आम नागरिक यातायात पुलिस अधिकारी के पास उपलब्ध पास मशीन पर चालान नम्बर की जांच के लिए सॉफ्टवेयर में ही वर्युअली ही की जा सकेगी। इससे इलाज और ज्यादा सटीक हो जाएगा और इलाज के दौरान होने वाली जटिलता का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। ये सभी मशीनों शूक्रवार से सेवाएं देना शुरू कर देंगी। पूरे देश में कुछ ही सेंट्स पर ऐसी तकनीक उपलब्ध है।

कि रेडिेशन एक्सपोजर के समय आस पास के अंगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। नई सीटी सिम्युलेटर मशीन से मरीज को स्कैन कर उसके ट्रीटमेंट की प्लानिंग सॉफ्टवेयर में ही वर्युअली ही की जा सकेगी। इससे इलाज और ज्यादा सटीक हो जाएगा और इलाज के दौरान होने वाली जटिलता का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। ये सभी मशीनों शूक्रवार से सेवाएं देना शुरू कर देंगी। पूरे देश में कुछ ही सेंट्स पर ऐसी तकनीक उपलब्ध है।

स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब मिलेगी विश्वस्तरीय रेडियोथैरेपी की सुविधा

जयपुर । स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब अत्याधुनिक रेडियो थैरेपी मशीन से कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। यह मशीन बेहद कम समय में कैंसर ट्युमर खत्म कर देती है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर ने इंस्टीट्यूट में रेडिएशन ऑनकोलॉजी विभाग में स्थापित की गई लीनियर एक्सलेरेटर मशीनों व सीटी सिम्युलेटर मशीन का लोकार्पण किया। प्रदेश में रेडियोथैरेपी की यह नवीनतम मशीन है। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कर्ीब

54 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित 10 ट्रीटमेंट टाइम बहुत कम हो गया है और इलाज भी आसान हो गया है। नवीनतम मशीन स्टैरियो टेक्सो सर्जरी कर सकती है, जिससे एक ही बार में ट्युमर खत्म हो सकता है। साथ ही आस पास के कैंसर सेल्स भी खत्म हो जाते हैं। इसमें रेडिएशन का पूरा प्रोसीजर 2 मिनट में खत्म हो जाता है। पहले की तरह रेडियोथैरेपी करने वाले मरीजों में त्वचा पर कालापन आने और दूसरे साइड इफेक्ट्स इस मशीन से नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा

कि रेडिेशन एक्सपोजर के समय आस पास के अंगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। नई सीटी सिम्युलेटर मशीन से मरीज को स्कैन कर उसके ट्रीटमेंट की प्लानिंग सॉफ्टवेयर में ही वर्युअली ही की जा सकेगी। इससे इलाज और ज्यादा सटीक हो जाएगा और इलाज के दौरान होने वाली जटिलता का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। ये सभी मशीनों शूक्रवार से सेवाएं देना शुरू कर देंगी। पूरे देश में कुछ ही सेंट्स पर ऐसी तकनीक उपलब्ध है।

सैन्यकर्मी का कोर्ट मार्शल कर बर्खास्त करने का 22 साल पुराना आदेश रद्द

सैन्यकर्मी का कोर्ट मार्शल कर बर्खास्त करने का 22 साल पुराना आदेश रद्द

जयपुर। सशस्त्र सेना प्राधिकरण ने साथी के बैंक खाते से रुपए निकालने के मामले में सैन्यकर्मी का कोर्ट मार्शल कर बर्खास्त करने के 22 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अधिकरण ने उसे समान रैंक पर मानते हुए समस्त परिलाभ व पेंशन देने को कहा है। अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बर्खास्तगी आदेश से बाद की अवधि का उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। अधिकरण ने यह आदेश पूर्व सीएफएन चंद्रभान की याचिका पर दिए अधिकरण ने कहा कि वास्तव में बैंक कर्मचारी ने अपने फायदे के लिए याचिकाकर्ता को फंसाया है और उसे सेवा से बर्खास्त कर उसके साथ घोर अन्याय किया है। इसके साथ ही अधिकरण ने आदेश की कॉपी बैंक के

क्षेत्रीय प्रबंधक को उचित कार्रवाई के लिए भेजा है।

याचिका में अधिवक्ता प्रवीण बलवदा ने अधिकरण को बताया कि याचिकाकर्ता 7011 ईएमई बटालियन जालंधर में सीएफएन के पद पर कार्यरत था। उस पर आरोप था कि उसने 4 दिसंबर, 2001 को एसबीआई बैंक की जालंधर कैंट शाखा में सीएफएन एसपी सिंह के खाते से उसके फर्जी साइन कर 35 हजार रुपए निकाल लिए। इस मामले में उस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई और 5 मार्च, 2002 को उसे तीन माह का सिविल कारावास देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसे रुपए की जरूरत थी और उसने बैंककर्मी जीपी सिंह को इस बारे

में बताया था। इस पर जीपी सिंह ने उसे दस दिन के लिए यह राशि एक हजार रुपए ब्याज काटकर दी थी। इस दौरान बैंक के निकारी फॉर्म पर जीपी सिंह ने साइन किए थे। वहीं तय समय पर याचिकाकर्ता ने यह राशि लौटा दी थी थी। मामले में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में घटन के मुख्य आरोपी जीपी सिंह को सरकारी गवाह बनाया गया और उसकी गवाही पर याचिकाकर्ता को दंडित किया गया। जबकि उसकी गवाही विश्वसनीय नहीं थी और उसने खुद को बचाने के लिए याचिकाकर्ता पर दोष मढ़ दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने कोर्ट मार्शल के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को समान रैंक का परिलाभ देने को कहा है।

सरकारी अस्पतालों में बदलेगा समय

जयपुर। जयपुर के एसएमएस समेत दूसरे अस्पतालों में का समय बदलेगा। शीतकालीन स्वास्थ्य के तहत 1 अक्टूबर से समय बदलेगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू होगी। सामान्य दिनों में दोपहर 3 बजे तक चलेगी।

जिसको लेकर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने आदेश जारी किए। रजिस्ट्रेशन का काम सुबह 8.30 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। रविवार और राधोपनिवेश अवकाश के दिन दो घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी चलेगी।

जिसको लेकर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने आदेश जारी किए। रजिस्ट्रेशन का काम सुबह 8.30 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। रविवार और राधोपनिवेश अवकाश के दिन दो घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी चलेगी।

बिना आदेश

वसूली रद्द की

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लघु उद्योग इकाई को गलत तरीके से जारी अनुदान को वापस लेने के लिए बिना आदेश की जा रही वसूली को कार्रवाई को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पुनः जिला उद्योग केन्द्र के जीएफ को भेजते हुए विधि अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।

जस्टिस अवनीश खिंगन की एकलपीठ ने यह आदेश इंडिया इमेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह सुस्थापित कानून है कि अर्ध-न्यायिक अधिकारी को तर्कपूर्ण आदेश पारित करना होता है, लेकिन मामले में अनुदान वापस लेने का कोई आदेश पारित कि बिना ही वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई।

याचिका में अधिवक्ता जय शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1990 में अनुदान के लिए आवेदन किया था। जिला स्तरीय कमिटी ने 29 सितंबर, 1997 को 10.83 लाख रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत कर दी और बाद में याचिकाकर्ता को इस राशि का अनुदान मिल गया।

याचिका में बताया गया कि 11 मार्च, 1999 को जिला उद्योग केन्द्र के जीएम ने याचिकाकर्ता को पत्र भेजकर कहा कि उसे अनुदान राशि गलत जारी हो गई है और वह ब्याज सहित राशि लौटाए।

दो आई.ए.एस. सहित अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती रोक के बावजूद भी नगर निगम के कर्मचारी को सेवा से हटाने के मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव टी रविकान्त और नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रूमणी रियाड़ सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश प्रदीप कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1996 में नगर निगम की विद्युत विंग में हेल्पर कम स्टोर कीपर के पद पर लता था। इसके बाद से वह लगातार इस पद पर काम कर रहा था। इस बीच वर्ष 2014 में उसे सेवा से हटा दिया गया।

■ **‘लीजधारकों और विभाग के बीच बेहतर समन्वय हों, स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करें’**

बाधाएं दूर होगी तो खनन व राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। एमनेस्टी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि बकायादारों से वन टू वन संपर्क करने से पुरानी बकाया की वसूली हो सकेगी। इसके लिए समयवद्ध टाइमलाईन तय की जा सकती है। रविकान्त ने खनिज पट्टों की नीलामी के बाद पट्टाधारकों के सामने आने वाली समस्याओं की और इशारा करते हुए कहा कि इससे खनन गतिविधियों आरंभ होने में देरी होती है और अन्य ब्लॉकों की नीलामी में भी विपरित असर पड़ता है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी और माइनिंग कमिटी में मॉडिफाई से पहले इस तरह के विन्दुओं को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि मीटिंग में हल निकाला जा सके।

कौशल शिविर में जुटे 3 हजार उम्मीदवार

जयपुर । उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा गुरुवार 26 सितंबर को सांभरलेक स्थित राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय कौशल, रोजगार, उद्यमिता शिविर के करियर सेमिनार का आयोजन हुआ। उप-प्रदेशिक रोजगार कार्यालय की उप निदेशक श्रीमती नवरेखा ने समारोह में अपने हेलपर सझा किये और विद्यार्थियों को प्रेरित किया और रोजगार की अवसरों तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने बताया कि शिविर में 3 हजार 296 बेरोजगार युवा पंजीकृत हुए।

भगवा रैली 29 को

जयपुर। महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरा करने और आमजन में हिंदू राष्ट्र के लिए जनजागृति पैदा करने के उद्देश्य से रविवार को भावां रैली का आयोजन किया जाएगा। युवा शक्ति मंच की ओर से आयोजित इस रैली का नेतृत्व राज्य के सभी प्रमुख संत करतुं हैं। इसकी जानकारी देते हुए युवा शक्ति मंच राजस्थान के प्रदेश संयोजक सुनील सिंह शेखावत ने गुरूवार को प्रेसवार्ता में भाजपा प्रवक्ता श्री र्चन्द्रमनोहर बटवाडा व रवि नैय्यर शामिल होंगे।

खोले के हनुमान मंदिर से शुरू होकर न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान तक निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि रैली में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, मुख्यमंत्री के पुत्र व युवा भाजपा नेता कुणाल शर्मा, विधायक बालमुकुन्दन्याच, गोपाल शर्मा, महेन्द्र मीणा और विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रवक्ता श्री र्चन्द्रमनोहर बटवाडा व रवि नैय्यर शामिल होंगे।

स्मैक तस्करी में लिफ्ट बदमाश गिरफ्तार

जयपुर । जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने ऑपरेशन आग और ऑपरेशन “क्लीन स्वीप” के तहत भांकरोटा इलाके कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करी व अवैध हथियार रखने वाले आरोपित करण सिन्धी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 209 ग्राम 90 मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक, अवैध पिस्टल और 52 हजार 600 रुपये का कर वारामद की है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित अवैध मादक पदार्थ अकलेरा झालावाड़ से लाकर जयपुर में सप्लाई करता है। जब्त की गई अवैध मादक पदार्थ स्मैक की अनुमानित बाजार मूल्य 10 लाख रुपये है। पुलिस आरोपित से पूछताछ करने में जुटी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जाँज जोसफ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित करण सिन्धी अवैध मादक पदार्थ स्मैक अकलेरा झालावाड से लेकर आना बताया एवं अवैध हथियार के संबंध में बताया कि पिस्टल उसके पास काफी समय पहले की है। उसके काफी दूरगम है उनसे बचने के लिये यह पिस्टल रख रखी थी। आरोपित अवैध मादक पदार्थ स्मैक मणिपाल यूनिवर्सिटी बाराह एवं भांकरोटा क्षेत्र में स्थित कॉलेजों के आस-पास सप्लाई करता है।